न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2016/00170 (121/2016)

1. सन्तलाल पुत्र दयाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18 संजीवनी नशा मुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्र रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. दयाराम पुत्र श्री पूर्णदास जाति स्वामी निवासी चक 1 एमडब्ल्यू ढाणी हरिपुरा वी.पी.ओ. मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ। ––**अपीलांट**

बनाम

1. हेमन्त उम्र 9 वर्ष पुत्र सन्तलाल पुत्र दयाराम जाति स्वामी
2. चुनमुन उम्र 4 वर्ष पुत्र सन्तलाल पुत्र दयाराम जाति स्वामी
   जरिये कुदरती वली माता शारदा पत्नी सन्तलाल जाति स्वामी निवासी हाल वार्ड नं. 5 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. मांगीलाल पुत्र दयाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 5 सती अनसुईया आश्रम के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
5. ओ.बी.सी. बैंक शाखा मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक ––रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 03.06.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 92/2015

उपस्थितिः–

श्री दलीप सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
श्री चानणराम वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडण्ट संख्या 1 व 2
श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 29.04.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादी के सं. 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करने खाता

विभाजन कर रकमराज अलग कायम करने व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई एकपक्षीय विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित यिका गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री लोक अदालत में दोनों पक्षकारों के उपस्थित रहने पर राजीनामा के जरिये से आदेश पारित किया जाना चाहिये था जबकि ना ता अपीलाण्ट उक्त अभियान में उपस्थित थे व ना ही अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई व ना ही अपीलाण्ट को उक्त वादपत्र का कोई ज्ञान था। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाण्ट को कभी कोई सम्मन नहीं दिये गये। अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी नहीं की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने दुर्भिसंधी करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमे रेस्पोडेण्ट का भी जन्म से हक व हिस्सा है। रेस्पोडेण्ट घोषणा एवं खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। अपीलाण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड भेजे गये थे। इसके बावजूद अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण नियमानुसार अभियान में निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राजकीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करनें का कथन किया।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र अधिकारों की घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 3 मांगीलाल ने उपस्थित आकर एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अभियान में दावा डिक्री किये जाने पर अनापत्ति जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलार्थीगण को साधारण सम्मन से तलब न किया जाकर सीधे ही जरिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया है। आदेशिका में रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किये जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण की पहले साधारण सम्मन द्वारा तलबी करवाई जानी चाहिए थी यदि साधारण सम्मन के द्वारा तलबी नहीं होती है तो उनकी रजिस्टर्ड सम्मन के द्वारा तलबी करवानी चाहिए थी। प्रकरण दिनांक 18.04.2016 को तलबी में था जिसमें 01.06.2016 की तारीख पेशी दी गई। दिनांक 01.06.2016 को 25.07.2016 की पेशी दी गई थी किन्तु पेशी से पूर्व ही दिनांक 03.06.2016 कैम्प में रखी जाकर निस्तारण किया गया है। अपीलार्थीगण उपस्थित नहीं थे जो कि प्रभावित पक्षकार हैं। उनको सुना नहीं गया है बिना सुने घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया गया है, जो सरसरी तौर पर किया गया है। इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विहित प्रक्रिया की पालना के अभाव में विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किय जाने योग्य है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 31.05.2019 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/4/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official